आदेश का ... संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
30/05/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0ए0आर0 पुनरीक्षण 101/2007** **सोमरा उरांव बनाम् शम्भु नाथ चकवर्ती एवं अन्य** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा अपील वाद संख्या–112–R15/2006-07 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। मूलतः विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची द्वारा भूमि वापसी वाद–705/2005–06 में ग्राम–हातमा, खाता नम्बर–43, प्लॉट नम्बर–1400, रकबा–1 एकड़ भूमि के वापसी हेतु आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश को सुनवाई के पश्चात् अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रश्नगत् भूमि को छप्परबंदी होने तथा भूमि वापसी के दावे को कालबाधित होने के आधार पर भूमि वापसी के आदेश को रद्द किया गया था। इस वाद में आवेदकों के तरफ से अंतिम हाजिरी दिनांक–13.12.2010 को दी गयी थी, जिसके पश्चात् किसी भी तिथि पर आवेदक उपस्थित नहीं हुये है। आवेदकों को अपना पक्ष रखने हेतु कई बार मौका दिया गया, किन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये। स्पष्टतः आवेदक को प्रश्नगत् वाद में कोई अभिरूचि नहीं है। अपीलीय न्यायालय द्वारा सभी बिन्दुओं पर विस्तृत सुनवाई की गयी है। यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदक खतियान रैयतों के बीच बंटवारा के पश्चात् हिस्सेदार माधो उरांव के वंशज है। वर्ष–1954 में ही प्रश्नगत् भूमि पर निबंधित केवाला के माध्यम से छप्परबंदी में परिवर्तन एवं बंदोबस्त तथा बिक्री की कार्रवाई की जा चुकी है। स्पष्टतः प्रथम दृष्ट्या यह सम्पूर्ण भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई एक योजना के तहत् की गयी प्रतीत होती है। किन्तु आवेदकों के द्वारा 50 वर्षो के पश्चात् उक्त भूमि पर वापसी का दावा किया गया है। स्पष्टतः यह दावा कालबाधित भी है। आवेदक लगातार इस न्यायालय से अनुपस्थित है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित Kulkarni 30/5/22 प्रमण्डलीय आयुक्त Kulkarni प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.22 17:02:51 +05:30
Location: 192.168.1.40